पत्र संख्या-एस0एस0-एक (1) मण्डल / जनपद समीक्षा-2017-18 /4122 / वाणिज्य कर,

प्रेषक,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

सेवा में

समस्त मण्डलायुक्त / समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

(संख्या अनुभाग) **लखनऊ : दिनॉक: 16/08/,2017**

विषय : वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक के विचारणीय बिन्दु।

महोदय,

प्रत्येक माह मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी द्वारा वाणिज्य कर विभाग से सम्बन्धित राजस्व प्राप्ति के सम्बन्ध में समीक्षा की जाती है। इस सम्बन्ध में अपेक्षा की जाती है कि विभाग को प्राप्त होने वाले मासिक जी0एस0टी0 राजस्व एवं करापवंचन विरोधी कार्यों के महत्व को ध्यान में रखते हुए वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक में जी0एस0टी0 के मुख्य कार्यों का क्रियान्वयन, बकाया वसूली एवं प्रवर्तन कार्य के नियमित होने पर उनसे सम्बन्धित बिन्दुओं पर भी समीक्षा की जाये :-

1- जी0एस0टी0 :

I. वैट अधिनियम से जी0एस0टी0 के अन्तर्गत माईग्रेटिड डीलर्स की इनरोलमेण्ट की प्रगति।
II. वैट में करमुक्त किन्तु जी0एस0टी0 में करयोग्य डीलर्स एवं सेवा प्रदाताओं के रजिस्ट्रेशन।
III. टी0डी0एस0 के नये प्रावधानों से जिले के आहरण-वितरण अधिकारी का प्रशिक्षण व रजिस्ट्रेशन।
IV. विभाग की हेल्पडेस्क पर प्राप्त व्यापारियों की कठिनाईयों का निराकरण।
V. नियत दिनॉक तक शत-प्रतिशत रिटर्न दाखिला एवं रिटर्न दाखिल न होने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की समीक्षा।

2- बकाया वसूली :

I. राजस्व विभाग अथवा वाणिज्य कर विभाग द्वारा बकाया वसूली किये जाने की स्थिति में डिमाण्ड रजिस्टर एवं जारी वसूली प्रमाण पत्रों के रजिस्टर के आधार पर बकाया वसूली प्रमाण पत्रों का मिलान कर वसूली की समीक्षा।
II. बड़े बाकीदारों / वसूली प्रमाण पत्रों को सूचीबद्ध कराते हुए वसूली में प्रगति हेतु उनके निस्तारण की समीक्षा।

3- प्रवर्तन कार्य :

I. जॉच से सम्बन्धित व्यापारी / प्रतिष्ठान तथा जॉच स्थल की सम्वेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस प्रशासन के अपेक्षित सहयोग एवं उनकी भूमिका के सम्बन्ध में आवश्यक मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देश दिया जाना।
II. कुख्यात एवं करापवंचक ट्रांसपोटर्स के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश एवं उनके विरुद्ध कृत कार्यवाही की समीक्षा।
III. विभाग द्वारा दर्ज कराये जाने वाली एफ0आई0आर0 पर त्वरित कार्यवाही के सम्बन्ध में पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश एवं उनकी समीक्षा।

4- विभागीय कार्यालय :

I. विभागीय कार्यालय भवनों हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने की समीक्षा।
II. विभागीय भवनों के किराये को नवीनीकृत करने हेतु किराया औचित्य प्रमाण पत्र के लम्बित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण।

16/8/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0 पत्र संख्या एवं दिनॉक : तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर / ज्वाइंट कमिश्नर /जनपद के वरिष्ठतम् डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को इस निर्देश के साथ कि वे स्वयं मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या-एस0एस0-एक (1) मण्डल / जनपद समीक्षा-2017-18 /422 / वाणिज्य कर,

प्रेषक,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

सेवा में

समस्त मण्डलायुक्त / समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

(संख्या अनुभाग) **लखनऊ : दिनॉक: 16/09/ ,2017**

विषय : वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक के विचारणीय बिन्दु।

महोदय,

प्रत्येक माह मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी द्वारा वाणिज्य कर विभाग से सम्बन्धित राजस्व प्राप्ति के सम्बन्ध में समीक्षा की जाती है। इस सम्बन्ध में अपेक्षा की जाती है कि विभाग को प्राप्त होने वाले मासिक जी0एस0टी0 राजस्व एवं करापवंचन विरोधी कार्यों के महत्व को ध्यान में रखते हुए वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक में जी0एस0टी0 के मुख्य कार्यों का क्रियान्वयन, बकाया वसूली एवं प्रवर्तन कार्य के नियमित होने पर उनसे सम्बन्धित बिन्दुओं पर भी समीक्षा की जाये :-

1- जी0एस0टी0 :

I. वैट अधिनियम से जी0एस0टी0 के अन्तर्गत माईग्रेटिड डीलर्स की इनरोलमेण्ट की प्रगति।
II. वैट में करमुक्त किन्तु जी0एस0टी0 में करयोग्य डीलर्स एवं सेवा प्रदाताओं के रजिस्ट्रेशन।
III. टी0डी0एस0 के नये प्रावधानों से जिले के आहरण-वितरण अधिकारी का प्रशिक्षण व रजिस्ट्रेशन।
IV. विभाग की हेल्पडेस्क पर प्राप्त व्यापारियों की कठिनाईयों का निराकरण।
V. नियत दिनॉक तक शत-प्रतिशत रिटर्न दाखिला एवं रिटर्न दाखिल न होने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की समीक्षा।

2- बकाया वसूली :

I. राजस्व विभाग अथवा वाणिज्य कर विभाग द्वारा बकाया वसूली किये जाने की स्थिति में डिमाण्ड रजिस्टर एवं जारी वसूली प्रमाण पत्रों के रजिस्टर के आधार पर बकाया वसूली प्रमाण पत्रों का मिलान कर वसूली की समीक्षा।
II. बड़े बाकीदारों / वसूली प्रमाण पत्रों को सूचीबद्ध कराते हुए वसूली में प्रगति हेतु उनके निस्तारण की समीक्षा।

3- प्रवर्तन कार्य :

I. जॉच से सम्बन्धित व्यापारी / प्रतिष्ठान तथा जॉच स्थल की सम्वेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस प्रशासन के अपेक्षित सहयोग एवं उनकी भूमिका के सम्बन्ध में आवश्यक मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देश दिया जाना।
II. कुख्यात एवं करापवंचक ट्रांसपोटर्स के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश एवं उनके विरुद्ध कृत कार्यवाही की समीक्षा।
III. विभाग द्वारा दर्ज कराये जाने वाली एफ0आई0आर0 पर त्वरित कार्यवाही के सम्बन्ध में पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश एवं उनकी समीक्षा।

4- विभागीय कार्यालय :

I. विभागीय कार्यालय भवनों हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने की समीक्षा।
II. विभागीय भवनों के किराये को नवीनीकृत करने हेतु किराया औचित्य प्रमाण पत्र के लम्बित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण।

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0 पत्र संख्या एवं दिनॉक : तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर / ज्वाइंट कमिश्नर /जनपद के वरिष्ठतम् डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को इस निर्देश के साथ कि वे स्वयं मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।